

झारखण्ड सरकार
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, (गो प्रो से०)
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा -

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक ०६.०३.२५

विषय - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता हेतु मो० २६८.०० लाख (दो करोड़ अड़सठ लाख) रु० मात्र पर योजना क्रियान्वयन तथा वित्तीय वर्ष २०२३-२४ एवं २०२४-२५ के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त संशोधित बजट उपबंध मो० ६००.०० लाख (छह करोड़) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता हेतु "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" अंतर्गत मो० २६८.०० लाख (दो करोड़ अड़सठ लाख) रु० मात्र पर योजना क्रियान्वयन तथा वित्तीय वर्ष २०२३-२४ एवं २०२४-२५ के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त संशोधित बजट उपबंध मो० ६००.०० लाख (छह करोड़) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. चालू वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्टेट टॉप अप सहायता हेतु मो० ६००.०० लाख (छह करोड़) रुपये का संशोधित योजना उद्ध्यय एवं इतनी ही राशि का संशोधित बजट उपबंध प्राप्त है।

३. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो० ६००.०० लाख (छह करोड़) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

गौग संख्या-५३-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य
शीर्ष-२४०५-मछली पालन-उप शीर्ष-७७-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

(राशि लाख रु० में)

क्र	विरत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० ०३ रा० (वि०) दिनांक ३०.०५.२४ द्वारा स्वीकृत राशि	स्वीकृत्यादेश सं० ३९ रा० (वि०) दिनांक १४.१०.२४ द्वारा स्वीकृत राशि	स्वीकृत्यादेश सं० ४५ रा० (वि०) दिनांक २७.१२.२४ द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-१०१-अन्तर्देशीय मछली-पालन								
१	०६-अनुदान-४९-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) ५३८२४०५००१०१७७०१०६४९	२००००००००	२००००००००	०	१८११०४००	१४८७५८५००	०	३३१३११००
	कुल केन्द्रांश	२००००००००	२००००००००	०	१८११०४००	१४८७५८५००	०	३३१३११००

2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	133300000	113300000	0	12073600	99172300	0	2054100
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	4000000	4000000	3325493	0	0	0	674507
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) - स्टेट टॉप अप 53X24050010177010649	40000000	30000000	0	0	0	30000000	0
कुल राज्यांश		177300000	147300000	3325493	12073600	99172300	30000000	2728607
लघु शीर्ष-789-अनुरूपित जातियों के लिए विशेष घटक योजना								
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	100000000	100000000	0	7308000	48173000	0	44519000
कुल केन्द्रांश		100000000	100000000	0	7308000	48173000	0	44519000
6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	66700000	41700000	0	4872000	32115400	0	4712600
7	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	1000000	1000000	635746	0	0	0	364254
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) - स्टेट टॉप अप 53X24050078977010649	20000000	15000000	0	0	0	15000000	0
कुल राज्यांश		87700000	57700000	635746	4872000	32115400	15000000	5076854
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
9	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	124900000	124900000	0	13135200	93430100	0	18334700
कुल केन्द्रांश		124900000	124900000	0	13135200	93430100	0	18334700
10	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	83200000	73200000	0	8756800	62286700	0	2156500
11	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	2000000	2000000	1883180	0	0	0	116820
12	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) - स्टेट टॉप अप 53X24050079677010649	20000000	15000000	0	0	0	15000000	0
कुल राज्यांश		105200000	90200000	1883180	8756800	62286700	15000000	2273320
सकल केन्द्रांश		424900000	424900000	0	38553600	290361600	0	95984800
सकल राज्यांश		370200000	295200000	5844419	25702400	193574400	60000000	10078781
कुल योग (2405) :		795100000	720100000	5844419	64256000	483936000	60000000	106063581

मो0 600.00 लाख (छह करोड़) रु0 मात्र।

4. भारत सरकार द्वारा देश में मछली पालन को बढ़ावा देने, मत्स्य कृषकों की आय दुगुनी करने, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए रोजगार सृजन तथा फसलोत्तर क्षति को कम करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

रजि

रजि

रजि

5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुये निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए मूल अनुदान की राशि के साथ-साथ स्टेट टॉप-अप से अतिरिक्त सहायता देने की माँग सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा विभागीय बैठकों में की जाती रही है। दिनांक 16.09.2022 को स्टेट टॉप-अप के लिए सम्पन्न विभागीय बैठक में सभी कोटि यथा General/ST/SC/Women को Unit cost का पूर्व निर्धारित अनुदान के साथ और 25 % राज्य योजना अंतर्गत स्टेट टॉप-अप के रूप में दिये जाने की अनुशंसा निम्न रूप में की गई है -

(राशि लाख रु० में)

क्र०	कम्पौनेंट्स का नाम	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)			
		इकाई लागत	General कोटि में सरकार का अनुदान (40 %)	ST/SC/Women कोटि में सरकार का अनुदान (60 %)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की प्रस्तावित राशि (Unit cost का 25 %)
1	2	3	4	5	6
1.1	कार्प हैचरी अधिष्ठापन कार्य	25.00	10.00	15.00	6.25
1.3	नये रियरिंग तालाब का निर्माण (नर्सरी/बीज रियरिंग तालाब)	7.00/ha	2.80	4.20	1.75
1.4	नये छो आउट तालाब का निर्माण	7.00	2.80	4.20	1.75
1.12	बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण (4 लाख रु० प्रति हे० इनपुट सहित)	14.00	5.60	8.40	3.50
4.1	बैकवॉर्ड राजावटी/रंगीन/अलकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	3.00	1.20	1.80	0.75
4.2	मध्यम आकार के राजावटी/रंगीन/अलकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	8.00	3.20	4.80	2.00
4.3	संगेकित अलकारी मछलियों की पालन एवं प्रजनन इकाई (भीठा जल मछली)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.1 a	बड़े आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 90 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 08 टैंक एवं 40 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	50.00	20.00	30.00	12.50
5.1 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उंचाई के 50 टैंक वाले बड़े बायोफ्लॉक की स्थापना	50.00	20.00	30.00	12.50
5.2 a	मध्यम आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 30 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 06 टैंक एवं 10 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.2 b	04 मी० व्यास एवं 1 मी० उंचाई के 25 टैंक वाले मध्यम बायोफ्लॉक की स्थापना	25.00	10.00	15.00	6.25
5.3 a	छोटे आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 100 घनमीटर क्षमता का 01 टैंक)	7.50	3.00	4.50	1.88
5.3 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उंचाई के 07 टैंक वाले छोटे बायोफ्लॉक की स्थापना	7.50	3.00	4.50	1.88
5.4	बैकवॉर्ड गिनी आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना	0.50	0.20	0.30	0.13
5.5	जलाशयों में केज अधिष्ठापन	3.00	1.20	1.80	0.75

सही

6.1 a	कम से कम 10 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लान्ट निर्माण	40.00	16.00	24.00	10.00
6.9 a	लघु फिश फीड मिल (प्रतिदिन 02 टन उत्पादन क्षमता)	30.00	12.00	18.00	7.50

6. (क) निजी क्षेत्र के लिए लाभुक जनित योजनाओं में कोटिकार लाभुकों का अंशदान एवं स्टेट टॉप-अप से दिये जाने वाले अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार होगी -

लाभुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			लाभुकों का अंशदान	स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	स्टेट टॉप-अप के उपरान्त लाभुक का अंशदान
		सरकारी अनुदान	कुल सरकारी अनुदान में				
			केन्द्रांश *	राज्यांश *			
General	100	40 %	60 %	40%	60%	25 %	35 %
ST	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
SC	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
Women	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %

*केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि सरकारी अनुदान में निहित है।

(ख) निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए इकाई लागत (मानक 100/- रु0 मात्र मानते हुए) के विरुद्ध राज्यांश मद का अनुदान एवं राज्य योजना के स्टेट टॉप-अप से दी जाने वाली सहायता से राज्य सरकार पर पड़ने वाला व्यय भार निम्न प्रकार है -

लाभुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	राज्य सरकार पर पड़ने वाला कुल व्यय भार
		सरकारी अनुदान	केन्द्रांश *	राज्यांश *		
General	100	40	24	16	25	41
ST	100	60	36	24	25	49
SC	100	60	36	24	25	49
Women	100	60	36	24	25	49

7. राज्य के अधिकांश मत्स्य कृषक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभुक के रूप में अपना अंशदान लगाने में सक्षम नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से टॉप-अप सहायता उपलब्ध कराने से लाभुक सुगमतापूर्वक ससमय योजना क्रियान्वित कर सकेंगे।

8. पूर्व में विकसित आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही में भी अंकित है कि वैसी योजनाएँ जो केन्द्र संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, उनमें मात्र अनुदान की राशि की वृद्धि की स्थिति में अन्तर राशि ही Top-up के रूप में राज्य मद से प्रावधानित की जाय।

(क) उक्त के आलोक में केज कल्चर हेतु राज्य योजना - तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढीकरण क्रियान्वित की जा रही है जिसका चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 30.05.2024 निर्गत है। उक्त निर्गत राज्यादेश में जिसके तहत सभी कोटि के लिए केज अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकार द्वारा 90% एवं इनपुट हेतु 50% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे केज कल्चर के कुल इकाई लागत का लगभग 70% अनुदान लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी सभी कोटि के लिए इसीप्रकार 70% तक अनुदान स्टेट टॉप-अप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत स्वीकृत होने वाले केज कल्चर में स्टेट टॉप-अप से General कोटि के लिए 30% तक एवं ST/SC/Women कोटि के लिए 10% तक की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा

हस्ताक्षर

6/

Page 4 of 7

केज अधिष्ठापन की लागत का अधिकतम 90% तक ही केज कल्वर हेतु उपलब्ध कराये गये कुल अनुदान (केन्द्रांश + राज्यांश + स्टेट टॉप-अप) में से एवं शेष इनपुट में व्यय किया जायेगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य योजना अंतर्गत रियरिंग तालाब का निर्माण योजना भी क्रियान्वित की जा रही थी, जिसके तहत प्रति इकाई लागत मो0 5.008 लाख रु0 प्रति एकड़ अर्थात् मो0 12.52 लाख रु0 प्रति हेक्टेयर निर्धारित थी, किन्तु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत इकाई लागत मो0 7.00 लाख रु0 प्रति हेक्टेयर मात्र है। उक्त गिनता के कारण विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 की गौंति ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिये स्टेट टॉप-अप से सभी कोटि (General/ST/SC/Women) के लिए 25% तक की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

9. (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 06.08.2024 से प्रथम चरण में मो0 11.326 करोड़ रुपये मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें मो0 3.8554 करोड़ रु0 केन्द्रांश, मो0 2.5702 करोड़ रु0 राज्यांश तथा मो0 4.9004 करोड़ रु0 लाभुकों का अंशदान है। इसकी स्वीकृति राज्यदेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 द्वारा प्राप्त है। दिनांक 16.09.2022 को इस योजना के लिए सम्पन्न उक्त वर्णित विभागीय बैठक में Beneficiary Oriented Schemes में स्टेट टॉप-अप के लिए की गई अनुशंसा के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आकलित स्टेट टॉप - अप की कुल राशि मो0 2.68 करोड़ रुपये मात्र है जिसकी विवरणी परिशिष्ट - 'I' के रूप में संलग्न है। इस योजना की स्वीकृत राशि से वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से झारखण्ड राज्य हेतु स्वीकृत प्रशासनिक अनुमोदन पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 06.08.2024 के लाभुकों को स्टेट टॉप-अप से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप-अप सहायता हेतु निर्गत राज्यदेश रां0 46 रा0 (वि0) दिनांक 26.02.2024 में मो0 18.1615 करोड़ रुपये मात्र के योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के विरुद्ध उक्त वित्तीय वर्ष में इस योजना हेतु उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 11.30 करोड़ रु0 मात्र का ही व्यय किये जाने तथा शेष राशि मो0 6.8615 करोड़ रु0 मात्र के व्यय हेतु चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

किन्तु विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित मो0 11.30 करोड़ रु0 मात्र के विरुद्ध मात्र मो0 8.73538 करोड़ रु0 (मो0 3.45995 करोड़ रु0 लाभुक के खाते में एवं मो0 5.27543 करोड़ रु0 पी0 एल0 खाते में) मात्र का ही जिलावार व्यय किया जा सका है। इसप्रकार योजना क्रियान्वयन की कुल स्वीकृत राशि मो0 18.1615 करोड़ रु0 मात्र के विरुद्ध मात्र मो0 8.73538 करोड़ रु0 मात्र का ही व्यय किया जा सका है।

उपरोक्त के कम में जिलावार प्राप्त अवशेष राशि की मांग तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट टॉप - अप हेतु उपलब्ध संशोधित बजट उपबंध मो0 6.00 करोड़ रु0 मात्र में से जिलावार मांग के अनुरूप मो0 4.7715 करोड़ रु0 मात्र का व्यय तथा शेष राशि मो0 4.65463 करोड़ रु0 मात्र का व्यय चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा। इसकी विवरणी परिशिष्ट - 'II A', 'II B' तथा 'II C' के रूप में संलग्न है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन स्टेट टॉप-अप सहायता मद में मो0 6.00 करोड़ रु0 मात्र का ही संशोधित बजट उपबंध उपलब्ध है। अतएव वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट टॉप - अप हेतु आकलित कुल राशि मो0 2.68 करोड़ रुपये मात्र के विरुद्ध उपलब्ध संशोधित बजट उपबंध मो0 6.00 करोड़ रु0 मात्र में से मो0 1.2285 करोड़ रु0 मात्र का व्यय तथा शेष राशि मो0 1.4515 करोड़ रु0 मात्र का व्यय चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा। इसकी विवरणी परिशिष्ट - 'I A', 'I B' तथा 'I C' के रूप में संलग्न है।

(घ) इसीप्रकार केन्द्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रशासनिक अनुमोदनों के समानुपातिक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में निर्गत होने वाले स्वीकृत्यादेशों के विरुद्ध स्टेट टॉप-अप हेतु सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

10. योजना की feasibility की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

11. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिन कार्यों के लिए राशि विमुक्त की गई है, स्टेट टॉप-अप की राशि का उपयोग ऊर्हीं कार्यों के लिए किया जाए तथा राशि का विचलन नहीं हो।

12. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। स्टेट टॉप-अप की राशि डी0 बी0 टी0 के माध्यम से व्यय की जाएगी।

13. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

14. केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का चयन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, PFMS Division, भारत सरकार के पत्रांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा SNA - SPARSH Module पर कियान्वयन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में SNA - SPARSH Module पर इस संदर्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, राँची जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं राँची जिला मत्स्य पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार से की जाएगी।

15. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

18. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301, दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

19. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

20. स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.01.2023 को विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा0 यो0 प्रा0 - 49/2023 दिनांक 03.02.2023 द्वारा निर्गत है, में इस योजना की अनुशंसा निम्न दो शर्तों के साथ की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा -

(क) योजना के कियान्वयन के कम में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) इस योजना के अंतर्गत तीन फिस्तरों में दिये जाने वाले राज्यांश की राशि के साथ स्टेट टॉप-अप की राशि विमुक्त की जाय।

सुनिश्चित

04/

04/

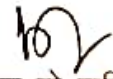
22. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप के विभागीय संलेख ज्ञापांक-270, दिनांक 27.02.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 17.04.2023 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृत है।
23. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
24. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव में गाननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
25. स्वीकृत राशि की निकारसी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
26. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 56 ST0(वि०) / रॉची, दिनांक 06-03-25

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची एवं सभी सहायक मत्स्य निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

()
सरकार के सचिव

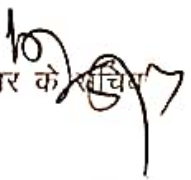
ज्ञापांक 56 ST0(वि०) / रॉची, दिनांक 06-03-25

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रगंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

()
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 56 ST0(वि०) / रॉची, दिनांक 06-03-25

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित गाननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

()
सरकार के सचिव

()

()

दिनांक 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित प्रमाणपत्रों परस्पर समया योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोटिबद्ध स्वीकृत परियोजनाओं के निरुद्ध राज्य योजना प्रमाणपत्रों परस्पर समया योजना के लिए नोट
टिप - इस का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
(राशि लाख रु. में)

[illegible]

(कृष्ण ०५)

(अनुपकार सिद्धांत की)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तपु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के केन्द्र प्रयोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के स्टेट टॉप - अप की विवरणी

परिशिष्ट-1A

(राशि लाख ₹0 में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि	ग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25 के उपलब्ध सशोषित बजट उपबन्ध के अधीन स्टेट टॉप-अप के व्यय की राशि	स्टेट टॉप-अप की अवशेष राशि
					General	ST	Women	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY												
1	Development of Inland Fisheries and Aquaculture											
13	Construction of New Rearing ponds(nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Deoghar	0	0	8	8	56.00	14.00	12.00	2.00
				Chatra	0	0	1	1	7.00	1.75	1.75	0.00
				Palamu	5	4	10	19	133.00	33.25	23.50	9.75
				Total	5	4	19	28	196.00	49.00	37.25	11.75
				Hazaribagh	0	2	0	2	0.40	0.00	0.00	0.00
2.7	Bivalve cultivation	0.20	No.	Total	0	2	0	2	0.40	0.00	0.00	0.00
5 Technology Infusion and Adaptation												
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Palamu	2	2	1	5	250.00	62.5000	40.00	22.50
				Total	2	2	1	5	250.00	62.5000	40.00	22.50
				Dhanbad	0	0	1	1	25.00	6.2500	6.25	0.00
				Godda	0	0	1	1	25.00	6.2500	6.25	0.00
				Palamu	1	0	0	1	25.00	6.2500	6.25	0.00
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Total	1	0	2	3	75.00	18.7500	18.75	0.00
9 Aquatic health management												
9.2	Disease diagnostic and quality testing Mobile labs/clinics	35.00	Nos.	Godh	0	0	1	1	35.00	0.0000	0.00	0.00
				Total	0	0	1	1	35.00	0.0000	0.00	0.00
Total :					8	8	23	39	556.40	130.25	96.00	34.25

(क्यांकित राशि को डाक्टन नहीं समझें अन्य)

(विधान के ताल्ल रु0 मात्र)

(अनुमोदित) 
सरकार के ताल्ल



टॉप - ऊप का भीति एवं विविध लक्ष्य

(राशि नाथ ख० ने)

2

(२) कर्षक वीरसाह नाथ रु० भाग)

(अ) मुख्यमंत्री (सिद्ध) (ए पी) (ए)
सरकार के राशि

परिशिष्ट-1C

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-2405-सर्वी पालन अंतर्गत उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के कोष प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कोटिदार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मौलिक एवं वित्तीय लक्ष्य के स्टेट टॉप - अथ की विवरणी

(गति लाय ३० में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost	वायव्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि	वार्षिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के उपलब्ध सहायित बजट उपभोग के अर्धीन स्टेट टॉप-अप के व्यय की राशि	स्टेट टॉप-अप की जवरीय राशि
					General	ST	Women	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY												
1 Development of Inland Fisheries and Aquaculture												
1.3	Construction of New Rearing ponds (nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Pakur	0	1	0	1	7.00	1.7500	0.70	1.0500
				Total	0	1	0	1	7.00	1.7500	0.70	1.0500
2.7	Bivalve cultivation	0.20	No.	Barin	0	1	0	1	0.20	0.0000	0.00	0.0000
				Total	0	1	0	1	0.20	0.0000	0.00	0.0000
4 Development of Ornamental and recreational fisheries												
4.2	Medium scale Ornamental fish Rearing unit (Both marine and Freshwater)	8.00	Nos.	Dumka	0	0	2	2	16.00	4.0000	0.65	3.3500
				Total	0	0	2	2	16.00	4.0000	0.65	3.3500
4.3	Integrated Ornamental Fish Unit (Breeding and Rearing for Freshwater fish)	25.00	Nos.	Dumka	0	0	1	1	25.00	6.2500	0.75	5.5000
				Sahebganj	0	1	0	1	25.00	6.2500	0.75	5.5000
				Total	0	1	1	2	50.00	12.5000	1.50	11.0000
5 Technology infusion and Adaptation												
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Dumka	0	0	2	2	100.00	25.0000	3.00	22.0000
				Sahebganj	0	0	1	1	50.00	12.5000	1.50	11.0000
				Total	0	0	3	3	150.00	37.5000	4.50	33.0000
5.2.3	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Dumka	0	0	1	1	50.00	12.5000	0.90	5.3500
				Jamshedpur	0	1	0	1	25.00	6.2500	0.90	5.3500
				Khushi	0	0	1	1	25.00	6.2500	0.90	5.3500
				Total	1	2	2	5	125.00	31.2500	4.50	26.7500
12.1	Fisheries extension and support services (Kendras)	25.00	Nos.	Sahebganj	0	0	1	1	25.00	0.0000	0.00	0.0000
				Total	0	0	1	1	25.00	0.0000	0.00	0.0000
				Total	1	5	9	15	373.20	87.00	11.85	75.15

(अनुमोदित राशि की आधुनिक शर्तों पर)

(आवृत्ति लाय प्रवासी हजार रु० मात्र)

Sum - 75.15

(अनुमोदित राशि की आधुनिक शर्तों पर)

परिशिष्ट-II

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के विरुद्ध राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप - अप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत राज्यादेश सं0 46 रा0 वि0 दिनांक 26.02.2024 में परिशिष्ट - I के रूप में स्वीकृत है।

5/11/24
श्रीव

प्रतिवेदन-11-A
 दिनांक वर्ष 2024-25 में कुल शीत-2400-महली एन एनएनएन एन शीत-17-वृत्तवर्ती महल समग्र योजना के लिए एड-एन-एन योजना में लागू शीत-101-अवर्द्धन महली पालन के तहत विवरण दिनांक वर्ष 2023-24 में विवरण मांग के लिए
 अवर्द्धन एड अवर्द्धन एड-एन-एन योजना के लिए

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiaries in nos.)				Total Cost (Rs. in lakh)	ग्राम प्रधान की राशि (Rs. in lakh)	[ग्राम पंच 2020-24 में मांग की गई राशि (Rs. in lakh)]		ग्राम प्रधान की राशि (Rs. in lakh)	[ग्राम पंच 2021-24 में मांग की गई राशि (Rs. in lakh)]		ग्राम प्रधान की राशि (Rs. in lakh)	ग्राम पंच 2022-24 में मांग की गई राशि (Rs. in lakh)
					General	ST	Women	Total			ग्राम प्रधान की राशि (Rs. in lakh)	ग्राम पंच की राशि (Rs. in lakh)		ग्राम प्रधान की राशि (Rs. in lakh)	ग्राम पंच की राशि (Rs. in lakh)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.3.2	Establishment of RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	750	Nos.	Chitra	0	0	3	3	11	5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	5.625	0.000	0.000
				Palamu	0	0	1	1	1.875	0.425	0.000	1.450	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Deghar	0	0	3	3	5.625	1.875	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Koderma	0	0	1	1	1.875	0.000	0.000	1.875	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	0	0	8	8	15.000	2.300	0.000	7.075	0.000	0.000	0.000	5.625	
				Chitra	1	0	5	6	11.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.250	
				Dharwad	1	0	3	4	7.500	0.000	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Palamu	0	0	3	3	5.625	1.745	0.755	3.125	0.755	5.625	0.000	0.000	
				Garhwa	1	1	3	5	9.375	3.750	0.000	0.000	0.000	5.625	0.000	0.000	
				Ramgarh	0	0	3	3	5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.750	
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	750	Nos.	Gidhah	0	0	2	2	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				Bokaro	0	0	2	2	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Deghar	0	0	3	3	5.625	5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Koderma	0	0	4	4	7.500	3.750	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Goeda	1	0	5	6	11.250	1.500	0.000	9.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	4	1	33	38	71.250	16.370	0.000	24.125	0.000	0.000	0.000	15.755	
				Hazaribagh	0	20	32	52	15.600	15.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Koderma	0	0	20	20	6.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Bokaro	0	8	20	28	8.400	- 0.000	0.000	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	0	28	72	100	30.000	21.600	0.000	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000	
B. Infrastructure And Post Harvest Management																	
B.1 Construction of Cold Storage/ Ice Plants																	
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	4000	Nos.	Palamu	0	0	2	2	20.000	5.473	0.000	7.150	0.000	0.000	0.000	0.038	
				Bokaro	0	0	1	1	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000		
				Deghar	0	0	1	1	10.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000		
				Goeda	0	0	1	1	10.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000		
				Total	0	0	5	5	50.000	5.473	0.000	15.150	0.000	0.000	10.038		
6.5 Fish Feed Mills																	
6.5.1	Mini Feed Mills of production capacity 2 ton/day	3000	Nos.	Chitra	1	0	1	2	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000		
				Palamu	0	1	1	2	15.000	0.000	0.000	6.750	0.000	0.000	0.000		
				Total	1	1	2	4	30.000	0.000	0.000	6.750	0.000	0.000	15.000		
					3075.00	724.750	111.976	248.279	204.000	160.495							

(प्रमाणित पंक्ति को अवरुद्ध नहीं किया जाना है)

(यदि कोई भी चार लाख से अधिक)

(अनुमोदित/सिद्धांतगत पंक्ति)
 सरकार के माध्यम से

3-1-2024

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुझ शीर्ष-2405-महोदी बासन अन्तर्गत वर शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मातृश्रम योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय पट्टक योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तियार मांग के निरुद्ध अवशेष एवं आवश्यक स्टेट टॉप अप की विवरण

परिशिष्ट-11-B

(मांगी लाख रु० में)

S.No	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)		Total Cost (Rs. in lakh)	रक बासन में स्टेट टॉप-अप की राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग की गई स्टेट टॉप-अप की राशि (Rs. in lakh)		वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तियार मांग के अन्तर्गत बासन में स्टेट टॉप-अप की राशि	स्टेट टॉप-अप की अवधि वर्षों
					SC	Total			10	11		
A. ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY												
1.1 Development of Inland Fisheries and Aquaculture												
1.2	Construction of New Rearing ponds (Nursery/Seed rearing ponds)	7.00	Ha	Fararu	5	5	35.00	8.750	1.748	3.015	2.500	1.487
				Total	5	5		8.750	1.748	3.015	2.500	1.487
				Chavra	4	4		7.000	0.000	0.000	3.000	4.000
				Fararu	1	1		1.750	0.000	1.000	0.750	0.000
				Bosaro	9	9	98.00	35.750	0.000	0.000	6.750	9.000
				Total	14	14		24.500	0.000	1.000	10.500	13.000
1.4	Construction of New Grow-out ponds	7.00	Ha	Bosaro	7	7		24.500	9.000	1.500	7.000	7.000
				Koderma	4	4	154.00	14.000	0.000	6.000	4.000	4.000
				Total	11	11		38.500	9.000	7.500	11.000	11.000
1.5 Technology Infusion and Adaptation												
5.2.3	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Palamu	3	3	75.00	18.750	3.892	6.825	3.000	5.033
				Total	3	3		18.750	3.892	6.825	3.000	5.033
				Palamu	1	1		6.250	0.000	3.500	2.000	0.750
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos	Deoghar	3	3	100.00	18.750	10.500	0.000	3.000	5.250
				Total	4	4		25.000	10.500	3.500	5.000	6.000
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos	Chavra	1	1	37.50	1.875	0.000	0.000	1.000	0.875
				Dumraon	3	3		1.875	0.000	1.875	0.000	0.000
				Gariaha	3	3		5.625	0.000	0.000	3.000	2.625
				Total	5	5		9.375	0.000	1.875	4.000	3.500
				Sarakela	200	200		60.000	10.800	9.200	20.000	20.000
				Ranchi	240	240		72.000	24.000	0.000	24.000	24.000
				Haridwar	240	240		72.000	24.000	0.000	24.000	24.000
				Famirhat	24	24	2736.00	7.200	2.400	0.000	4.800	0.000
5.5	Installation of cages in Reservoirs	3.00	Nos.	Koderma	184	184		55.200	0.000	18.400	18.400	18.400
				Bokaro	16	16		4.800	0.000	1.600	3.200	0.000
				Godda	8	8		2.400	0.000	0.800	1.600	0.000
				Total	912	912		273.600	61.200	30.000	96.000	85.400
B. Infrastructure And Post Harvest Management												
6.1	Construction of Cold Storages/ Ice Plants			Koderma	1	1	40.00	10.000	0.000	2.675	1.000	6.325
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	40.00	Nos.	Total	1	1		10.000	0.000	2.675	1.000	6.325
6.9	Fish Feed Mills			Chavra	1	1		7.500	0.000	0.000	1.000	6.500
				Koderma	1	1	60.00	7.500	0.000	3.375	1.000	3.125
				Total	2	2	335.50	15.000	0.000	3.375	2.000	9.625
6.9.1	Mini Feed Mills of production capacity 2 ton/day	30.00	Nos.					423.475	86.340	59.765	135.000	142.370

संशोधन प्रति कृ. संशोधन प्रति

(अनुसूचित जाति को आवंटित नहीं कराया गया है) (एक करोड़ पैंतीस लाख रु० मात्र)

30-11-24

(अनुसूचित जाति को आवंटित नहीं कराया गया है)

(प्राप्ति तिथि रु० में)

33
H. H. H.
H. H. H.

